

उत्तर प्रदेश शासन
व्यापार निकात विभाग
११६१ | अंडतीर - ५ - १२ - ०२ संकेत | २०११
१२ अक्टूबर २०१२

कार्यालय जाग

भारत सरकार के पश्चात् एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्यपाल द्वारा आमंत्रित व्यापार विभाग के बारे २०१० में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इनमें विवरणों का विवरण है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदत्त विवरण है।

(१) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	उत्तर प्रदेश
(२) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	साधरण
(३) प्रमुख सचिव / सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	साधरण
(४) प्रमुख सचिव / सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	साधरण
(५) प्रमुख सचिव / सचिव विकित्सा एवं रक्षारथ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(६) प्रमुख सचिव / सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(७) प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(८) प्रमुख सचिव / सचिव, रसिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(९) प्रमुख सचिव / सचिव, महिला कल्याण एवं दाल विकास विभाग	-साधरण
(१०) प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(११) प्रमुख सचिव, ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(१२) प्रमुख सचिव / सचिव, भूगम जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(१३) प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(१४) प्रमुख सचिव / सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-साधरण
(१५) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ	-साधरण
(१६) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ	-साधरण
(१७) अध्यक्ष द्वारा नामित जल विज्ञान, रूचना शिक्षा संचार, मानव संसाधन, एमआईएस०, गैर सरकारी संगठन आदि के विशेषज्ञ / प्रतिनिधि	-साधरण
(१८) अधिकारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लखनऊ	-साधरण सचिव

२- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी, जो प्रदेश रत्तर पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता से सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय व कन्वरजेन्स प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगी :-

- i. नीतिगत दिशा-निर्देश देना,
- ii. विशेष परियोजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियों का रामिलन,
- iii. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा राम्बन्धित गतिविधियों के बीच सम्बन्धन,
- iv. भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का अनुश्रवण एवं गूल्यांकन एवं पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं का प्रबन्धन,
- v. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दोनों के लिए संघार एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का एकीकरण,

29-165

(खण्ड १४)

प्रमुख राजिव ।

संख्या १०८ (१) / अड्डतीस-५-२०११, राष्ट्रदिवाक
प्रतिलिपि निभालिपित को रूपान्धर्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी रायिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 2. निजी रायिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 3. मिशन के समरत सदस्यगण।
 4. रायिव, पेयजल एवं रखच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं रखच्छता मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मिशन के गोमोरेन्डम ऑफ एसोशिएशन में उल्लिखित एपेक्षा कमिटी के स्थान पर उपरोक्तानुसार चांचित संशोधन कराने का कष्ट करें।
 6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
 7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० रेट एग्रो इण्डस्ट्रियल का०पी० लि०, लखनऊ।
 8. बाड़े फाईल।

आज्ञा रो

Ekfotda

(शिव कुमार पाठक)

अनु सचिव